उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

200 वसन्त विहार, फेज-II, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com, Website : www.ukcampa.org

पत्रांक-- 660/का.स.-vi बैठक/2011-12 दिनांक, देहरादून 24 दिसम्बर, 2011

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष--कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य--कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा सदस्य--कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक--वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य--कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य--कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. पर्यावरण जन--जन जागृति समिति (पराज), नौगांव बाजार, उत्तरकाशी, सदस्य--कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय:-- **उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त।**

सन्दर्भ:-- **इस कार्यालय का पत्रांक--542/कार्य.स.--viबैठक/2011--12 दिनांक:--30.11.2011, एवं पत्रांक--557/कार्य.स.--viबैठक/2011--12 दिनांक:--05 दिसम्बर 2011**

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 12.12.2011 को मंथन सभागार, देहरादून में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आपकी सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-- यथोपरि।

भवदीय,

24/12/2011

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा,
देहरादून।

पत्रांक 600 (1)/का.स.-vi बैठक /2011–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– संलग्नक सहित निम्नांकित को प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
7. स्वाति ग्रामोद्योग, धारचूला रोड, पिथौरागढ, सदस्य–कार्यकरी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ।

संलग्नकः– यथोपरि।

24/11/2011

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा,
देहरादून।

पत्रांक 600 (2)/ का.स.-vi बैठक /2011–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– संलग्नक सहित निम्नांकित को अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य शासी निकाय व अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य शासी निकाय व उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नकः– यथोपरि।

24/11/11

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा,
देहरादून।

Wahy/CAMPA-bac 2011

दिनांक 12.12.2011 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डा.आर.बी.एस. रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरण:–

समिति के सदस्यगण:–

1. **डा.आर.बी.एस. रावत**, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति।
2. **श्री एस.एस. शर्मा**, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– कार्यकारी समिति।
3. **श्रीमती बीना शेखरी**, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड, विशेष आमंत्री।
4. **श्री एस.टी.एस. लेप्चा**, अ.प्र.व.सं., नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति तथा नोडल अधिकारी/अ.प्र.व.सं.–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. **श्री एम.एस. बिष्ट**, प्रमुख वन संरक्षक, कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
6. **श्री जगत सिंह चौहान**, अध्यक्ष–पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), उत्तरकाशी, सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. **श्री विजय कुमार**, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) की षष्ठम बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.1:- दिनांक 30.08.2011 को सम्पन्न हुई पंचम कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि सभी स्तरों से अनुपालन आख्या अप्राप्त है।

अनुपालन की उपरोक्त स्थिति को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा निर्देश दिए गये कि समिति की बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।

इसी क्रम में पंचम बैठक की कार्यसूची बिन्दु संख्या–5.2 में कैम्पा निधि के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो की धीमी गति के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों पर अनुपालन की समीक्षा तथा वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा व्यक्त मत के आधार पर समिति द्वारा पुनः निर्देश दिये गये कि **"उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का अनुपालन करते हुऐ विभाग के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्य तथा सड़क निर्माण कार्य आवश्यक रूप से निविदा के माध्यम से कराये जाय।"**

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ व वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

ᵡ **<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.2 (i)</u>** वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2010–11 के क्रियान्वयन की अद्यावधिक प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 05.12.2011 को सृजित Hard Copy सदस्यगणों के संज्ञानार्थ तथा विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

1. राज्य स्तर पर लगभग 91% की प्रगति तथा विशेष रूप से सिविल सोयम पौड़ी की वित्तीय प्रगति 40.25%, (50% से कम) तथा भूमि संरक्षण, अलकनन्दा व तराई पश्चिमी प्रभाग एवं चकराता वन प्रभाग की क्रमशः 59.93% व 68.21% एवं 65.63% (70% से कम) वित्तीय प्रगति को समिति द्वारा संज्ञान में लेकर खेद व्यक्त किया गया तथा उनके नियंत्रक अधिकारी से अपेक्षा की गई कि वह समयबद्ध कियान्वयन एवं CAMPA MIS Entry में अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मार्ग निर्देशन करें। अन्यथा की स्थिति में सभी संबंधित स्तरों पर कार्यो का मूल्यांकन कर तथ्यात्मक प्रविष्टि के अंकन की कार्यवाही की जाय।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा वर्ष 2010–11 के APO के सापेक्ष कार्य एवं व्यय को दिनांक 30.11.2011 को Freeze कर उक्त APO के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि में से अवशेष धनराशि को वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष उपयोग करने तथा तद्नुसार APO 2010–11 के सापेक्ष दिनांक 30.11.2011 तक किये गये समस्त कार्यो के उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 08.12.2011 तक प्रविष्टी करने के निर्देशों को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस क्रम में उपरोक्तानुसार अवशेष धनराशि का विवरण दिनांक 31.12.2011 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, ताकि तद्नुसार उक्त राशि को वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि में शामिल किया जा सकें।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ तथा समस्त–वन संरक्षक / निदेशक एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण / वन प्रभाग)

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.2 (ii)</u> वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2011–12 के क्रियान्वयन की अद्यावधिक प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 05.12.2011 को सृजित Hard Copy सदस्यगणों के संज्ञानार्थ तथा विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

उत्तराखण्ड कैम्पा के सभी 55 कार्यान्वयन अभिकरणों / वन प्रभागों को वर्ष 2011–12 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू०3235.18 लाख सापेक्ष मात्र रू०1306.31 लाख (40.38%) की वित्तीय उपलब्धि को समिति द्वारा गम्भीरता से लेते हुऐ चर्चा की गई कि आगामी तीन माह में वर्ष 2011–12 के स्वीकृत APO साईज रू०11166.47 लाख का शत् प्रतिशत क्रियान्वयन के लक्ष्य के बजाय इसको लगभग रू०80.00 करोड़ तक के व्यय का लक्ष्य रखते हुऐ शेष धनराशि को आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 के APO के प्रस्ताव में शामिल किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण / वन प्रभाग)

× कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.3

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा के Observations पर मात्र 10 कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर से अनुपालन की स्थिति को खेदजनक बताते हुऐ समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त पर दिसम्बर 2011 माह के अन्त तक सभी सम्बन्धित के स्तर से अनुपालन आख्या उचित माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। अन्यथा की स्थिति में उक्त को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखते हुऐ सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण)

2. उत्तराखण्ड कैम्पा की पंचम कार्यकारी समिति (30.08.2011) के द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से किये गये कार्यो की आन्तरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की संस्तुतियों के सारांश पर समिति द्वारा "**वित्त नियंत्रक, वन विभाग को उक्त ऑडिट रिपोर्ट की संस्तुतियों का तकनीकी परीक्षण करने तथा तद्नुसार समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने एवं अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्णय** के क्रम में वित्त नियंत्रक वन विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त वांछित दिशा निर्देशों का आलेख तैयार किया जा चुका है, जिसको अन्तिम रूप देकर शीघ्र ही समस्त सम्बन्धित को निर्गत कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड)

3. आन्तरिक लेखा परीक्षा के Observations में रू.2000/– से अधिक के भुगतान को चैक के माध्यम से किये जाने के बिन्दु पर चर्चा हुई। उक्त Observations के अनुसार अधिकांश बड़े–बड़े भुगतान चैक के बजाय रेंज अधिकारी को वन अग्रिम देकर नगद भुगतान किया जाता है, जिसके क्रम में CA Firm द्वारा रेंज अधिकारी स्तर पर कैम्पा निधि का खाता खोले जाने एवं रेंज स्तर से रू.2,000/– से अधिक के भुगतान चैक से माध्मय से किये जाने की संस्तुति की गई है। उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा चर्चा कर निर्णय लिया गया कि समस्त प्रमाणक प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर पारित किये जाते है। अतः प्रथम चरण में रू.2,000/– से अधिक धनराशि के समस्त प्रमाणकों का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर चैक से माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के उक्त Recommendations को रेंज स्तर पर समयानुकूल लागू करने का अग्रेत्तर निर्णय आगामी समय में लिया जाय।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.4 श्री हेम चन्द्र गैरोला (M&E सलाहकार) के द्वारा माह अगस्त–11 व सितम्बर–11 में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय सहित बागेश्वर, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, सि॰सो॰अल्मोड़ा, सि॰सो॰ पौड़ी, भू॰सं॰प्रभाग–रानीखेत, लैंसडौन, उत्तरकाशी, अलकनन्दा प्रभागों में किये गये Concurrent Monitoring & Evaluation की रिपोर्ट के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि उक्त रिपोर्ट उक्त प्रभागों को एवं रिपोर्ट के Critical Observations and Recommendations की प्रति सभी सम्बन्धित को प्रेषित की गई। जिसके सापेक्ष अपर यमुना बड़कोट, भू॰सं॰ अलकनन्दा वन प्रभाग के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड सहित अन्य सभी सम्बन्धित वन प्रभागों से M&E सलाहकार की उक्त रिपोर्ट पर टिप्पणी/आख्या प्राप्त होना अपेक्षित है।

उपरोक्त रिपोर्ट के Critical Observations and Recommendations अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मार्ग दर्शन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त पर चर्चा में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि वन पंचायत नियमावली 2005 के प्राविधानों में उल्लिखित संहत प्रबन्ध योजना (Composite Management Plan) अभी तक प्रदेश के किसी भी प्रभाग द्वारा नहीं बनाई गई है, जबकि वन पंचायत का Micro Plan उक्त संहत प्रबन्ध योजना के आधार पर बनाया जाना चाहिए, जिसका उल्लेख सलाहकार द्वारा अपनी उक्त M&E रिपोर्ट में किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा चर्चा की गई कि प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के अधीन दो वन संरक्षक नियुक्त है तथा उनके स्तर पर वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये जाने चाहिए। इस कम में समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत को सुझाव दिया गया कि उनके निर्देशन में उक्त दोनों वन संरक्षकों के स्तर पर Outsourcing के माध्यम से संहत प्रबन्ध योजना एवं Micro Plan बनवाने के कार्य को facilitate करवाया जाय। साथ ही समिति द्वारा वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के कार्यो की Concurrent M&E के लिए कैम्पा स्तर पर empanneled सलाहाकर श्री हेम चन्द्र गैरोला द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त M&E रिपोर्ट में की गई मेहनत की सराहना की गई।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत तथा उनके अधीन कार्यरत समस्त वन संरक्षक/सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी)

कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.5 स्वीकृतियों/अनुमोदन हेतु प्रस्तावः–

6.5.(i) वन विभाग के फील्ड कर्मियों हेतु CUG Plan का क्रय के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 30.08.2011 को पंचम कार्यकारी समिति की बैठक में उक्त CUG Plan क्रय करने हेतु कैम्पा निधि (Capital Fund) के अन्तर्गत रू॰66.96 लाख + टैक्स अतिरिक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई एवं BSNL को वरियता देने के साथ Telecom Service Providers के साथ एक बार पुनः नेगोशियेशन करने के उपरान्त प्राप्त दरों को सिमति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 11.11.2011 को Telecome Service Provider कम्पनियों से बन्द लिफाफे में दरों के प्रस्ताव मांगे जाने के कम में BSNL, IDEA, TATA & Reliance से प्राप्त दरों का दिनांक 21.11.2011 को Consultancy Evaluation Committee (CEC) के द्वारा विश्लेषण करने के उपरान्त BSNL का Coverage Area अन्य फर्मों की तुलना में निविदा प्रस्ताव में सबसे अधिक पाये जाने के कम में BSNL (सरकारी निगम) का Plan 99 लेने हेतु (CEC) की संस्तुति को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF), भारत सरकार से दिनांक 18.10.2011 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के साथ चर्चा में उपरोक्त Telecom Facilities को उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से क्रय करने के दिशा निर्देशों के कम में समिति द्वारा चर्चा कर निर्देशित किया गया कि CUG Plan पर होने वाले व्यय का वहन Capital Fund के बजाये कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा) एवं अन्य विशेषज्ञ

6.5.(ii) विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारू संचालन में दी जाने वाली सेवाओं के सापेक्ष कैम्पा कार्यालय के संचालन व्यय हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की धनराशि में से प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा निम्नानुसार मानदेय दिये जाने के अनुमोदन को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया:–

अधिकारी /कर्मचारी का स्तर	मानदेय (प्रतिदिन)
उच्च स्तर (PB-4 & above)	रू. 1000/–
मध्यम स्तर (PB-3)	रू. 750/–
सामान्य स्तर (PB-2)	रू. 500/–

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

6.5.(iii) प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के द्वारा दिनांक 09.09.2011 को देहरादून में आयोजित वन पंचायत सम्मेलन–कार्यशाला में टैण्ट आदि लगाने हेतु **रू.7,88,865.00/– (सात लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ पैंसठ मात्र)** के प्रस्ताव पर **कार्यमद** 1.d.3.2 **राज्य स्तरीय कार्यशाला** के अन्तर्गत **रू.7,88,865.00/–** की वित्तीय स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग)

6.5.(iv) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अनुमोदित निम्नांकित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर समिति द्वारा निम्नांकित कार्यमदों के अन्तर्गत अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि कार्यों की रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा सम्बन्धित संस्था से प्राप्त कर ली जाय।

1. "4th great Himalayas Bird Count, Winter of 2011" कार्य हेतु Action & Research for Conservation in Himalayas (ARCH) संस्था को देने हेतु रू.2.00 लाख की कार्य मद 1.e.2.7 Publicity, Extension and awareness, special campaign against pollution like "Sparsh Ganga Plastic eradication drive etc." के अन्तर्गत।

2. **The Energy and Resource Institute (TERI)** को रू.1.00 लाख की धनराशि **International Mountain Day** के आयोजन हेतु वर्ष 2011–12 के APO में तालिका 1.e.9.1 की Contingencies के अन्तर्गत।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग)

6.5.(v) विभिन्न सक्षम स्तरों से प्राप्त निम्नांकित वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निम्नानुसार चर्चा कर निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश दिये गये:–

क्र. सं.	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	कार्य का नाम	धनराशि (रू.में)	प्रस्ताव प्रेषित करने का स्तर	पत्रांक व दि.
1	मु.स.सं./निदेशक, FTA हल्द्वानी	एक Tata Starbus, 32 Seater on Model LP712 EX/42BSII का क्रय	1077226.00	मु.स.सं./निदेशक, FTA हल्द्वानी	1549/13-4 दि.30. 0511
2	देहरादून वन प्रभाग	नवादा क.सं.06 के वन एवं कास्त भूमि की सीमा पर स्थित कच्चे मार्ग का सुदृढ़ीकरण	1300000.00	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त	525/3-3 दि.02.09. 11
3	देहरादून वन प्रभाग	माजरी–शेरगढ़ मोटर मार्ग से परिजात वाटिका (वनवाह क0सं03) तक कच्चा मार्ग का सुदृढ़ीकरण	1250000.00	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त	524/3-3 दि.02.09. 11
4	देहरादून वन प्रभाग	दुल्हनी क0सं03 से नवादा क0सं01 के अन्तर्गत वन एवं कास्त भूमि की सीमा पर स्थित कच्चे मार्ग का सुदृढ़ीकरण	1160000.00	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त	523/3-3 दि.02.09. 11

1. क्रम संख्या–1 पर अंकित टाटा स्टार बस क्रय हेतु धनराशि का प्राविधान संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 में मुख्य वन संरक्षक/निदेशक FTA हल्द्वानी के स्तर से करते हुए उक्त की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध करा दी जाय। तदनुसार उपरोक्त बस कय हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक /निदेशक FTA हल्द्वानी)

2. क्रम संख्या–2,3 व 4 पर अंकित कार्यो हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यो सम्बन्धित निविदा की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त उपरोक्त की स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग)

कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.6 उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF), भारत सरकार से दिनांक 18.10.2011 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के साथ हुई चर्चा तथा इस क्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF), भारत सरकार के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या:15-2/2010-2011 (UK) दिनांक 20.10.2011 के बारे में समिति को अवगत कराया गया। भारत सरकार के द्वारा उक्त पत्र माध्यम से NPV घटक के अन्तर्गत कतिपय कार्यमदों पर Re-examination एवं Elucidation/Justification के निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य मदों पर Proposed Note for Consideration का आलेख समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा संशोधन उपरान्त निम्नांकितानुसार Proposed Note for Consideration को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:–

Suggested Points for Re-examination of Items of Expenditure by MoEF	Discussion Guidance by MoEF on 18th Oct., 2011	Proposed Note for Consideration
1.c.2.1 Creation of artificial lakes ["rejuvenation of water sources & creation of water bodies for recharging of aquifers	Further elucidation/Justification is required	The activity is a part of aims and objectives No-(d)(ii) regulating services–"such as climate regulation, disease control, flood moderation, detoxification, carbon sequestration and health of soils, air and water regimes" of State CAMPA as well as the guidelines on State CAMPA from Govt. of India. **The activity will also help in water conservation.**
1.e.3 Eco-Tourism	Further elucidation/Justification is required	The activity is a part of aims and objectives No-(d)(i) Provision of goods–"such as wood, non-timber forest products, fuel, fodder and water, and provision of services such as grazing, tourism, wildlife protection and life support" of State CAMPA as well as the guidelines on State CAMPA from Govt. of India. **It will also help to creat livelihood options for local community.**
1.d.11.2 Van Panchayat Strengthening by sanction of funds to Panchayats/Pine needles collection and its different	Further elucidation/Justification is required	Van Panchayats are existing legal & traditional community **based rural** institutions for community/village forest management in Uttarakhand. The activity provides improved fuel to community & to

uses-briquetting machines, community–to-community exchanges		reduce forest fire events.
1.d.14 Financing of Common Facility Centres/Eco-Service Delivery	Further elucidation/Justification is required	The Eco-Service Delivery Centres will provide a common platform to the community institutions (VP) for value addition & marketing of minor forest produce/NTFP & Local population including Van Panchayats would be motivated to protect forest.
Provision of telecom facilities	Should be taken up from interest amount	The activity is a part of compliance of (The Guideline on State CAMPA from Govt. of India) the provision of Overarching Objectives & Core Principles-Point No.-5 "The amount received by it will also be utilized for providing residential accommodation to the field staff and necessary machines and equipments to them. These include appropriate arrangement for their conveyance during inspections and protection duty. In short, the department would be modernized to protect and regenerate the forests and wildlife habitat." Though the proposed telecom facilities at field functionary level assist in inspection & protection of forest. **It will also help for effective communication**. Activity therefore this could be funded from the capital amount also as approved by the Steering Committee. However this telecom expenditure may be met from interest amount as desired by Govt. of India subject to the approval of Executive Committee & Steering Committee.
1.e.7.1 Financing of Platinum Jubilee of Corbett Tiger Reserve	Further elucidation/Justification is required	This is a year specific allied activity included in APO due to Compliance of Uttarakhand State G.O. No. 671/X-2-2011-12(2)/2011, dated 25-02-2011. As per the steering Committee direction expenditure has been reduced from Rs. 97.00 lakh to Rs. 40.20 lakh. **The activity is also a part of wildlife conservation, awareness & extention.**
1.a.4 Purchase of Office Vehicles, Expenditure on Drivers, PoL.	Field vehicle purchase from capital amount but running expenses to be met from interest amount	The activity is a part of compliance of (The Guideline on State CAMPA from Govt. of India) the provision of Overarching Objectives & Core Principles-Point No.-5 "The amount received by it will also be utilized for providing residential accommodation to the field staff and necessary machines and equipments to

		them. These include appropriate arrangement for their conveyance during inspections and protection duty. In short, the department would be modernized to protect and regenerate the forests and wildlife habitat." Though the proposed purchase of vehicles at field functionary level assist in inspection & protection of forest. Therefore this could be funded from the capital amount also as approved by the Steering Committee. However the expenditure on Drivers, PoL may be met from interest amount as desired by Govt. of India subject to the approval of Executive Committee & Steering Committee.
Creation of Posts for the CAMPA Secretariat	Should be taken up from interest amount	The activity is a part of compliance of The Guideline on State CAMPA from Govt. of India Point No. 11. Utilization of the money (ii) the non-recurring as well as recurring expenditure for the management of the State CAMPA, including the salary and allowances payable to its officers and other employees, by utilizing a part of the income from interest received by on funds invested by State CAMPA. Same has been approved by Steering Committee.
1.e.5 Mukhya Mantri Harit Vikas Yojana	Further elucidation/Justification is required	This is an Allied Activity to expand forest area/forest cover in the State Capital & Distt. H.Qs. **under the guidance of** Hon. C.M. Uttarakhand. As per the aims and functions of CAMPA this can be taken up out of NPV funds.
1.d.15 Atal Adarsh Yojana	Further elucidation/Justification is required	The Atal Adarsh Gram provides a common platform of all developmental activities including forestry activities. So the activity is a part of the same implemented through traditional community institutions for community/village forest management in Uttarakhand.
1.e.4 Jadi-Buti Vikas Yojana	Further elucidation/Justification is required	This is an Allied Activity to expend the area of Jadi-Buti cultivation. **under the guidance of** by Hon. C.M. Uttarakhand. As per the aims and functions of CAMPA this can be taken up out of NPV funds.

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.7

(i) समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को रू.3235.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई एवं उक्त के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र रू.1306.31 लाख (40.38%) की वित्तीय प्रगति हुई है। तथा वर्ष 2011–12 के स्वीकृतAPO के साईज रू.11166.47 लाख के सापेक्ष मात्र लगभग रू.8600.00 लाख की Site Specific प्रविष्टि उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में की गई है। अतः स्वीकृत APO साईज के सापेक्ष प्रभाग स्तर से अभी भी रू.2566.00 लाख की Site Specific Planning होनी शेष है, जबकि इस वित्तीय वर्ष में मात्र तीन माह शेष है। इसी क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर हेतु स्वीकृत धनराशि रू.840.50 लाख सहित वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरसण हेतु वर्ष 2011–12 के APO में स्वीकृत धनराशि रू.2625.00 लाख का इस वित्तीय वर्ष में शेष रहे तीन माह की अवधि मे पूर्ण उपयोग किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुएसमिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्ष 2011–12 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के प्रभागवार संशोधन के प्रस्ताव को जोन स्तर से अनुमोदन उपरान्त उक्त की प्रभाग स्तर से दिनांक 31.12.2011 तक Site Specific प्रविष्टि उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में कर दी जाय, ताकि तद्नुसार उक्त संशोधित कार्ययोजना को संचालन समिति की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा सकें।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, वन्यजीव व परियोजनाऐं एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमॉऊ एवं जैव विविधता संरक्षक, अनुसंधान एवं विकास तथा समस्त वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमॉऊ मण्डल एवं समस्त निदेशक–राष्ट्रीय पार्क तथा समस्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

(ii) प्रस्तावति APO 2012-13 के निरूपण के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि नवम्बर 2009 तक Ad-hoc CAMPA में उत्तराखण्ड राज्य कैम्पा की रू.820.76 करोड़ की कैम्पा निधि जमा थी। जिसके क्रम में वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 हेतु क्रमशः रू.8165.32 लाख तथा रू.8274. 87 लाख की धनराशि Ad-hoc CAMPA से उत्तराखण्ड कैम्पा को प्राप्त हुई है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा की दिनांक 18.10.2011 को वन एवं पर्यावरण (MoEF), भारत सरकार से चर्चा हुई चर्चा में आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए गत् वर्षो से कम धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा को अवमुक्त किये जाने के बाबत् अवगत कराया गया है।

उपरोक्त के कम में समिति द्वारा गत् वर्षो में Ad-hoc CAMPA से प्राप्त धनराशि के आधार पर आगामी वर्ष 2012–13 हेतु लगभग रू॰8200.00 लाख की धनराशि की कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड कैम्पा की आगामी संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, वन्यजीव व परियोजनाऐं एवं मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमॉऊ एवं जैव विविधता संरक्षक, अनुसंधान एवं विकास तथा समस्त वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमॉऊ मण्डल एवं समस्त निदेश्क–राष्ट्रीय पार्क तथा समस्त कार्यान्वयन अभिकरण / प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.8</u> स्वीकृत APO 2011-12 के अतिरिक्त प्रस्ताव के रूप में मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–147/2009 **"संगमंचट्टी–डोडीताल–दयारा–गिडारा–सुक्खी तथा जौराई कुश्कल्याण–सहस्त्रताल–खेड़ाताल को पर्यटन सर्किट"** के रूप में विकसित किये जाने में घोषणा से संबन्धित पर्यटन सर्किट के विकास कार्यो को कैम्पा निधि से कराये जाने हेतु विकल्प के सम्बन्ध में तत्काल आख्या शासन को उपलब्ध कराने के उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1995/X-2-2011-1(2)/2010 दिनांक 09.11.2011 के निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा चर्चा की गई कि इको–टूरिज्म मद हेतु कैम्पा के स्वीकृत APO 2011–12 पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (MoEF), भारत सरकार द्वारा Further elucidation/Justification मांगा गया है। इस क्रम में कैम्पा निधि से वित्त पोषण के बजाय उक्त घोषणा के कार्यो की पूर्ति को इको–टूरिज्म हेतु उपलब्ध विभागीय बजट से की जानी चाहिए। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में कमशः रू॰282.47 लाख, रू॰344.02 लाख तथा रू॰174.74 लाख का व्यय अनुमानित किया गया है। इस प्रकार घोषणा के कार्यो की तीन वर्षो में पूर्ति इको–टूरिज्म हेतु उपलब्ध विभागीय बजट के अन्तर्गत किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की उक्त घोषणा संख्या 147 / 2009 का कैम्पा से वित्त पोषण के बजाय इको–टूरिज्म के सामान्य विभागीय बजट से कार्यो को पूर्ण करने हेतु सुझाव दिया गया एवं निर्देश दिए गए कि तदनुसार उत्तराखण्ड शासन को अवगत करा दिया जाय।

APCCF PFM/

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.9</u>

<u>6.9.(i)</u> कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम को लागू करने के लिए निविदा के माध्यम से Accounting Software क्रय करने व Software को Operate करने के लिए Training व Handholding Support की सेवाऐं लिये जाने का सैद्धान्तिक अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

6.9.(ii) बन्दरों हेतु दो उपचार केन्द्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया एवं निर्देश दिए गए कि इसको वर्ष 2012–13 के प्रस्तावित APO में शमिल किया जाय एवं प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता वाली समिति उक्त की स्थापना हेतु Model तथा स्थान आदि के चयन सम्बन्धित समस्त कार्यो का निणर्य लें।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड)

6.9.(iii) वन्य जीवों हेतु दो Rescue वाहन प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशन में क्रय करने के निर्देश समिति द्वारा दिए गए, उक्त हेतु वित्तीय स्वीकृति समिति द्वारा इस बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या 5.6 की तालिका के क्रमांक–3 पर दी जा चुकी है।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड)

6.9.(iv) जंगली सुअर (Wild boar) के नियंत्रण पर चर्चा हुई। जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसल नष्ट कर दी जा रही है, जिससे किसानों के सम्मुख भुखमरी जैसी समस्या खड़ी हो जाती है, इस क्रम में समिति द्वारा सेना के अवकाश प्राप्त सैनिकों व अन्य योग्य व्यक्तियों को शामिल करते हुऐ कम से कम 30 टीम जंगली सुअर नियंत्रण हेतु बनाने के निर्देश दिए गए, जोकि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की स्वीकृति उपरान्त समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में जंगली सुअर नियंत्रण का कार्य करेंगी। इसी क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि आदमखोर बाघ को मारने हेतु विभाग काफी समय से श्री लखपतसिंह की सेवाऐं ले रहा है, किन्तु उनको अभी तक कोई मानदेय नहीं दिया गया है। अतः उनके द्वारा अब तक मारे गए आदमखोर बांघों की संख्या के आधार पर उचित मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। उक्त पर समिति द्वारा चर्चा उपरान्त श्री लखपतसिंह को उचित मानदेय प्रदान करने की सहमति दी गई।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड)

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा

(डा.आर.बी.एस.रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं
अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा